

५/१/२०

वकील वादी द्वारा प्रापत्र पेश करने
पत्र पत्रावली न्यायस्थान में आज पेशी में
ली गई।

वकील वादी / उभयपक्ष उप०। वकील वादी ने प्रापत्र
पत्र पेश कर वाद को विद्वा / नोट प्रेस में खारिज
किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दायित
वफतर हो।

५